

कार्यालय, मुख्य अभियंता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
जल संसाधन विभाग, वीरपुर।

का0आ0सं0:-1 स्था0-70-7-04 / 2024-...../ वीरपुर, दिनांक/ 2025।

कार्यालय आदेश।

जिलाधिकारी-सह अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, सुपौल की बैठक कार्यवाही ज्ञापांक 48 स्था0, दिनांक 13.01.2025 के कार्यवाही संख्या-01 के सूची क्रमांक 01 पर की गई अनुशंसा एवं विभागीय पत्र सं0 :-05/स्था0-18 (मार्गदर्शन)-44/2024- 3405 दिनांक 17.07.2025 द्वारा प्रदत्त अनुमति के आलोक में मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, वीरपुर के कार्यालय आदेश सह ज्ञापांक 2855 दिनांक 18.09.2025 द्वारा अनुकम्पा के आधार पर बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) नियमावली, 2023 के अंतर्गत पूर्णतः औपबंधिक रूप से परीक्ष्यमान रूप में नियुक्त निम्नलिखित कार्यालय परिचारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 06 में अंकित कार्यालय में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है-

क्र0	नाम/स्थायी पता	कोटि	जन्म तिथि	कर्मि का फोटो	पदस्थापित कार्यालय का नाम
01	02	03	04	05	06
01.	श्री रोशन कुमार, पिता- स्व0 तारानन्द झा, ग्राम/मुहल्ला- कामत टोला, वार्ड संख्या-24, डाकघर- सुपौल, पिनकोड- 852131, थाना- सुपौल, प्रखंड- सुपौल, अनुमंडल- सुपौल, जिला- सुपौल।	सामान्य	01.01.1989	 ROSHAN KUMAR	पूर्वी तटबंध प्रमंडल, कोपरिया

02. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

03. योगदान करने हेतु पदस्थापित स्थान पर आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

ह0/-

(संजीव शैलेश)
मुख्य अभियंता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
जल संसाधन विभाग, वीरपुर

ज्ञापांक:-1 स्था0-70-7-04 / 2024-...../ वीरपुर, दिनांक/ 2025।

प्रतिलिपि :- संबंधित कार्यालय परिचारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि वे पदस्थापन आदेश निर्गत होने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर नियुक्ति पत्र में वर्णित सभी अभिलेखों/प्रमाण पत्रों/शपथ पत्र आदि के साथ निश्चित रूप से अपना योगदान पदस्थापित कार्यालय में



समर्पित करें, अन्यथा निर्धारित अवधि के पश्चात योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।

ह0/-

(संजीव शैलेश)
मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:-1 स्था0-70-7-04 / 2024-...../वीरपुर, दिनांक/2025।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सुपौल/सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(संजीव शैलेश)
मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:-1 स्था0-70-7-04 / 2024-...../वीरपुर, दिनांक/2025।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमंडल, कोपरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कार्यपालक अभियंता नवनियुक्त कार्यालय परिचारी के वांछित सभी अभिलेखों/प्रमाण पत्रों/शपथ पत्र आदि की जाँच कर स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत ही उनका योगदान औपबंधिक रूप से तीन माह के लिए स्वीकृत करेंगे एवं नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि करा लेंगे। यदि तीन माहों के अंदर यह सम्पुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नव नियुक्त कर्मचारी के वेतन की निकासी तब तक नहीं की जाएगी जब तक नियुक्ति की सम्पुष्टि नहीं हो जाती।

नियंत्री पदाधिकारी संबंधित संस्थान/कार्यालय से प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराकर इसकी शुद्धता से भी संतुष्ट हो लेंगे।

ह0/-

(संजीव शैलेश)
मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:-1 स्था0-70-7-04 / 2024-...../वीरपुर, दिनांक/2025।

प्रतिलिपि :- श्री नीरज धर, सरकार के अवर सचिव, प्रशाखा-05, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(संजीव शैलेश)
मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:-1 स्था0-70-7-04 / 2024-30.13...../वीरपुर, दिनांक 06.10...../2025।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(संजीव शैलेश)
मुख्य अभियंता

06/10/24